Irregularities in sale of wheat by FCI in Punjab and Haryana

491. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether grave irregularities have been detected in the sale of wheat by the Food Corporation of India under the open market sales scheme during the last financial year in the States of Punjab and Haryana;

(b) if so, the details thereof and the extent of the loss suffered; and

(c) the action taken against the concerned officials of the FCI and the Food Ministry involved in the scandal?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) Yes, Sir. Information was received from the Government of Haryana about the irregularities in regarrd to sale of wheat in Haryana under Open Market Sale Scheme (Domestic) i.e. OMSS(D) during the last year.

(b) and (c) A case was registered against the then SRM, FCI, Haryana on 6.1.97 by the Distt. Police Authorities at Rohtak. The main allegation was that illegal gratification was demanded for allotment of wheat under Open Sale Scheme by the agents of SRM, FCI, Haryana. The wheat allocated for open sale under OMSS(D) was reported to have been sold to different parties at exorbitant rates. The entire matter is being investigated by CBI under the supervision of the Hon'ble Punjab and Haryana High Court, Chandigarh. On a Public Interest Litigation (PIL), the Hon'ble Court delivered its judgment on 26.7.97, directing the Deputy Commissioners in the States of Punjab and Haryana to prepare reports on the basis of records available in FCI offices and to make the same available to CBI within two months for further investigation and launching prosecution against the erring parties, if found necessary. The extent of the losses suffered would be known only after the investigation being conducted by CBI under the directions of the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana has been completed.

State Government's refusal to accept imported wheat

492. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large quantity of imported wheat has been lying in the ports of Gujarat and Maharashtra as the State Governments have refused to accept the same;

(b) if so, the quality and value of the wehat in question and the grounds on which the States have refused to accept the wheat; and

(c) the steps taken to ensure that this wheat is utilised before getting rotten at the ports?

THE MINISTR OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) No, Sir. Imported wheat is being lifted by State Governments for issue under TPDS and other welfare schemes.

(b) and (c) Do not arise.

चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि

493. **प्रो॰ राम बख्श सिंह वर्मा:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गन्ना उत्पादकों की चीनी मिलों की तरफ उनके गन्ने की राशि अभी भी बकाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बकाया राशि का भुगतान चीनी मिलों द्वारा कब तक कर दिया जाएगा?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) चीनी मिलों से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार 15.10.97 तक, 1995-96 के पिछले चीनी मौसम के दौरान इसी तारीख को 5.9% के प्रति, चीनी मौसम 1996-97 (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए कुल देय गन्ना मूल्य बकाया 3.87% था। 15.10.97 तक, 1996-97 चीनी मौसम के लिए किसानों को देय गन्ना मूल्य का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।**(नीचे देखिये)**

(ग) और (घ) गन्ना मूल्य बकाया इकट्ठा होने के कई कारण कहे जा सकते हैं जैसे—चीनी मिलों की खराब आर्थिक स्थिति, उत्पादन की उच्च लागत, राज्य द्वारा सुझाए गए अधिक उच्च गन्ना मूल्य, अपर्याप्त बिक्री प्राप्ति आदि।

(क) चीनी मिलों द्वारा देय गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जिनके पास इन भुगतानों को करवाने के लिए आवश्यक शक्तियां तथा क्षेत्र में कार्यरत संगठन है। तथापि, केन्द्र सरकार भी चीनी मिलों की गन्ना मूल्य देयता पर सूक्ष्म दृष्टि रखती है कि यह भुगतान शीघ्रता से सुनिश्चित किया जा सके। सभी गन्ना उत्पादक राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा मुख्य सचिवों से उनके क्षेत्रों में स्थित नीची मिलों द्वारा गन्ना किसानों को समय पर गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

1996-97 मौसम के दौरान खरीदे गए गन्ने के लिए देय गन्ना मूल्य, भुगतान किया गया मूल्य तथा शेष बकाया, साथ ही 15.10.97 तक गन्ना मूल्य बकाया की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख रुपयों में)

राज्य	15.10.97 तक 1996-97 के दौरान खरीदे गए गन्ने के लिए कुल देय मूल्य	15.10.97 तक भुगतान किया गया गन्ना मूल्य	15.10.96 तक शेष देय गन्ना मूल्य	कुल देयता पर शेष देय मूल्य का प्रतिशत
पंजाब	45030.86	42159.67	2871.19	6.38
हरियाणा	41859.19	40791.84	1067.35	2.55
राजस्थान	944.40	944.40	0.00	0.00
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	85184.34	82769.67	2414.67	2.83
मध्य उत्तर प्रदेश	118732.99	112871.87	6061.12	5.10
पूर्वी उत्तर प्रदेश	54140.32	48235.59	5904.73	10.91
जोड़ (उत्तर प्रदेश)	258057.65	243677.13	14380.52	5.57
मध्य प्रदेश	4737.68	3575.67	1162.01	24.53
दक्षिणी गुजरात	66396.30	66138.39	257.91	0.39
सौराष्ट्र	3158.25	2960.51	197.74	6.26
जोड़ (गुजरात)	69554.55	69098.90	455.65	0.66
दक्षिणी महाराष्ट्र	68812.08	68582.94	229.14	0.33
उत्तरी महाराष्ट्र	23932.77	23701.18	231.59	0.97
मध्य महाराष्ट्र	64696.59	64669.52	27.07	0.04
(जोड़ महाराष्ट्र)	157441.44	156953.64	487.80	0.31
उत्तरी बिहार	23450.88	19200.34	4250.54	18.13
दक्षिणी बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
(जोड़ बिहार)	23450.88	19200.34	4250.54	18.13
असम	359.90	359.90	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	44246.05	43323.72	922.33	2.08
कर्नाटक	46249.59	45133.61	1115.98	2.41
तमिलनाडु	66726.98	63779.67	2947.31	4.42
केरल	522.34	522.25	0.09	0.02

राज्य	15.10.97 तक 1996-97 के दौरान खरीदे गए गन्ने के लिए कुल देय मूल्य	15.10.97 तक भुगतान किया गया गन्ना मूल्य	15.10.96 तक शेष देय गन्ना मूल्य	कुल देयता पर शेष देय मूल्य का प्रतिशत
उड़ीसा	2981.90	2981.90	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	400.51	400.03	0.48	0.12
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	2587.60	2587.47	0.13	0.01
गोआ	996.16	996.16	0.00	0.00
अखिल भारतीय जोड़:	766147.68	736486.30	29661.38	3.87

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबों को दिए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा को दोगुना किया जाना

494. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को दिए जाने वाले अनाज की मात्रा दोगुनी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह दोगुनी मात्रा प्रति परिवार प्रति माह क्या होगी और इस योजना से कितने परिवार लाभान्वित होंगे; और

(ग) सरकार की इस योजना से कितने रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा तथा इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह विचाराधीन है।

Allocation of levy sugar on the basis of projected population of Gujarat

495. SHRI BRAHMANKUMAR BHATT: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government has received any representation from Government of Gujarat for allocation of levy sugar on the basis of projected population of Gujarat of 1996; and

(b) if so, the decision taken thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) Government of Gujarat on 18th October, 1997 has requested to increase their monthly levy sugar quota by 7000.0 MTs due to increase in population.

(b) At present, there is no proposal to enhance monthly levy sugar quota of